तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ सं0
Ref. No.: 510/NOC/2020

दिनांक
Dated : 29/9/2020

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद गोण्डा

विषय- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 (रिटेल आउटलेट), ग्राम बहादुरा, तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा की गाटा संख्या-1299 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आख्या के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 18/जे0ए0(अना.प्र.प.)/20 दिनांक 02.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रस्तावित मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 (रिटेल आउटलेट), ग्राम बहादुरा, तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा के गाटा संख्या-683 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प क्षमता 1×15 KL MS एवं 1×20 KL HSD पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में इस कार्यालय से अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है | उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में रिटेल आउट पेट्रोल पम्प की स्थापना संबंधी बोर्ड द्वारा कोई मार्गदर्शिका(गाइडलाइन) निर्धारित नही है | प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प द्वारा प्रेषित अभिलेखों, ले-आउट प्लान, शपथ-पत्र आदि के परीक्षणोंपरान्त प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोलपम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तों को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है-

1- प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आसपास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े |

2- पेट्रोलपम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये |

3- पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आसपास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये |

4- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन किया जाये |

5- घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिस्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये |

6- पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये |

7- पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये |

........2

6/9/21
अजय [illegible] / Ajay C Roge
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) गोण्डा / Territory Manager (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Limited

8- पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्ड्स वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग एण्ड ट्रांस वाउण्ड्री मूवमेन्ट्स), नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्ड्स केमिकल रूल्स, 1989 पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये |

9- पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 1×15 KL MS एवं 1×20 KL HSD के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये |

10- प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन वनायी जाये |

11- पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले विल्डिंग के उच्चतम विन्दु पर विन्ड इण्डीकेटर लगाया जाये |

12- डी.जी. सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये |

13- पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के भीतर प्रेषित किया जाये |

14- पेट्रोल पम्प द्वारा सभी संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक ऑन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर 6 माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये |

15- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये |

16- पेट्रोल पम्प वाहनों की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामान यातायात वाधित न हो |

भवदीय

(ओम प्रकाश)

क्षेत्रीय अधिकारी

6/9/21

अजय सी० रूगे / Ajay C Ruge

Territory Manager (Retail) Gonda

Bharat Petroleum Corporation Limited